सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 586 राँची, गुरूवार, 13 आश्विन, 1945 (श०) / 5 अक्टूबर, 2023 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

4 अक्टूबर, 2023

संचिका सं- परि0वि0-145/2007 (पार्ट)- 1100--मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-212 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 में निम्नांकित संशोधन करते हुए झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2023 का प्रारूप प्रकाशित करती है एवं एतद् द्वारा जनसाधारण एवं प्रभावित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि इसके झारखण्ड राज्य पत्र में प्रकाशन होने की तिथि से 21 दिनों के अंदर आपत्ति या सुझाव सचिव, परिवहन विभाग एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची अथवा ईमेल-sec-trans-jhr@nic.in को दे सकते है।

झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2023 का प्रारूप

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-28, 38, 65, 96 एवं 211 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनायी जाती है :-

1- **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-**

(i) यह झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2- **(क) मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 के अध्याय-II के अन्तर्गत झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम 6 के अधीन देय शुल्क** :-

(i)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम-12 के तहत छाया चित्र का प्रतिस्थापन शुल्क 60.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर 100.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 18 के तहत परिवहन वाहन का परिचालन हेतु प्राधिकरण शुल्क 100.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर 200.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 20 के तहत अपील के लिये निर्धारित शुल्क 150.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 25.00 रूपये (अधिभार सहित) प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iv)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत प्रत्येक दस्तावेज की प्रति के लिये शुल्क 150.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 300.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(v)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 21 के तहत चालक अनुज्ञप्ति की विवरणी की प्रत्येक प्रति हेतु शुल्क 50.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर 100.00 रूपया प्रतिस्थापित किया जाता है।
(vi)	मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 3 के तहत चिकित्सा प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु शुल्क 60.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 150.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ख) **मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 के अध्याय-III के अन्तर्गत झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम 26 के अन्तर्गत देय शुल्क** :-

(i)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 30 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु जाँच शुल्क 100.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 200.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 31 के तहत बैज की स्वीकृति अथवा प्रतिस्थापन के लिये शुल्क 50.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 100.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 34 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति पर छाया चित्र प्रतिस्थापन का शुल्क 50.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 100.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iv)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 35 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति हेतु शुल्क 50.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 100.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(v)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 37 के तहत अपील हेतु शुल्क 120.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 25.00 रूपये (अधिभार सहित) प्रतिस्थापित किया जाता है।
(vi)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 37 के तहत प्रत्येक दस्तावेज की प्रति हेतु शुल्क 120.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 250.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ग) **मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 के अध्याय-IV के अन्तर्गत झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम 44 के अधीन देय शुल्क** :-

(i)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 41 के उपनियम 1 के तहत अपील के लिये शुल्क 150.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 300.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 47 के तहत प्रदत्त सुविधा के लिये प्रति मोटरवाहन का शुल्क 60.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 150.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 58 ए॰ के प्रत्येक दस्तावेज की प्रति के लिये शुल्क 60.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 150.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

(iv)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 52 ए॰ के उप नियम-2 के तहत योग्यता प्रमाण पत्र के विस्तार के लिये देय शुल्क 120.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 250.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(v)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के तहत निबंधन प्रमाण पत्र के द्वितीय प्रति के लिये शुल्क 60.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर शुल्क 150.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(vi)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के तहत योग्यता प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति हेतु शुल्क दो पहिया वाहन 100.00 रूपये, एलएमभी-200.00 रूपये, एमएमभी-300.00 रूपये, एचएमभी-400.00 रूपये के स्थान पर शुल्क दो पहिया वाहन 200.00 रूपये, एलएमभी-400.00 रूपये, एमएमभी-600.00 रूपये, एचएमभी-800.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(vii)	नियम 58 के अधीन प्रत्येक वाहन के निबंधन के विशिष्टियों की प्रतिलिपि के लिए 30 रू॰ के स्थान पर शुल्क 50 रू॰ प्रतिस्थापित किया जाता है।

(घ) **मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 के अध्याय-V के अन्तर्गत झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली 2001 के नियम 74 के अधीन देय शुल्क** :-

(i)	विशेष स्टेज कैरेज (विशेष सवारी गाड़ी बस) के पाँच साल के स्थायी परमिट शुल्क 6000.00 रूपये के स्थान पर 9000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	स्टेज कैरेज सेवा (सवारी गाड़ी बस) के पाँच साल के स्थायी परमिट शुल्क 6000.00 रूपये के स्थान पर 9000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iii)	कॉन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ मोटर कैब हेतु एक क्षेत्र का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 2000.00 रूपये के स्थान पर 3000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iv)	कॉन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ मोटर कैब हेतु दो क्षेत्रों का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 3600.00 रूपये के स्थान पर 4500.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(v)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ मोटर कैब हेतु दो से अधिक क्षेत्रों का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 6000.00 रूपये के स्थान पर 7500.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(vi)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ मैक्सी कैब हेतु एक क्षेत्र का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 2000.00 रूपये के स्थान पर 4000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

(vii)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ मैक्सी कैब हेतु दो क्षेत्रों का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 3600.00 रूपये के स्थान पर 6000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(viii)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ मैक्सी कैब हेतु दो से अधिक क्षेत्रों का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 6000.00 रूपये के स्थान पर 9000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ix)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटर कैब एवं मैक्सी कैब से अतिरिक्त भिन्न वाहनों हेतु एक या अधिक क्षेत्रों का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 10000.00 रूपये के स्थान पर 15000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(x)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटर कैब अथवा मैक्सी कैब जिसका क्रय मूल्य (जी॰एस॰टी॰ सहित) 15.00 (पन्द्रह) लाख से अधिक लक्जरी वाहनों के लिए एक या अधिक क्षेत्रों का पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 15000.00 रूपये के स्थान पर 20000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(xi)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटरकैब (कार से भिन्न) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ एक क्षेत्र का पाँच वर्षो के लिए निर्धारित स्थायी परमिट शुल्क को विलोपित किया जाता है।
(xii)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटरकैब (कार से भिन्न) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ दो क्षेत्रों का पाँच वर्षो के लिए निर्धारित स्थायी परमिट शुल्क को विलोपित किया जाता है।
(xiii)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटर कैब (कार से भिन्न) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ दो से अधिक क्षेत्रों का पाँच वर्षो के लिए निर्धारित स्थायी परमिट शुल्क को विलोपित किया जाता है।
(xiv)	निजी वाहक (प्राइवेट कैरियर) पाँच वर्षो के लिए स्थायी परमिट शुल्क 3000.00 रूपये के स्थान पर 5000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(xv)	लोक वाहन (माल वाहक) एक क्षेत्र के लिये पाँच वर्षो का स्थायी परमिट शुल्क 2000.00 रूपये के स्थान पर 4000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(xvi)	लोक वाहन (माल वाहक) दो क्षेत्रों के लिये पाँच वर्षो का स्थायी परमिट शुल्क 3600.00 रूपये के स्थान पर 6000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(xvii)	लोक वाहन (माल वाहक) दो से अधिक क्षेत्रों के लिये पाँच वर्षो का स्थायी परमिट शुल्क 6000.00 रूपये के स्थान पर 9000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(xviii)	निजी मोटरकार चालक को छोड़कर 9 (नौ) से अधिक यात्रियो को ढ़ोने योग्यं पाँच वर्षो का स्थायी परमिट शुल्क 1000.00 रूपये के स्थान पर 2000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

(xix)	कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) बिना मीटर अथवा मीटर के साथ ऑटो रिक्शा हेतु पाँच वर्षों के लिए स्थायी परमिट शुल्क 5000.00 रूपये अंत:स्थापित किया जाता है।
(क)	**परमिट की स्वीकृति या नवीकरण या शर्तो के विचलन हेतु आवेदन पत्र नीचे वर्णित फीस के साथ दाखिल किये जायेगे** :-
(i)	सभी प्रकार के वाहनों के लिए स्थायी एवं अस्थायी परमिट हेतु आवेदन शुल्क 500.00 रूपये अंत:स्थापित किया जाता है।
(ii)	जिस प्रयोजन के लिए कोई आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं है, के लिए आवेदन शुल्क 500.00 रूपये अंत:स्थापित किया जाता है।
(ख)	**अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट के प्रतिहस्ताक्षर की स्वीकृति या नवीकरण के लिये शुल्क :-**
(i)	राज्य के भीतर एक क्षेत्र के मार्ग अथवा मार्गो या उपक्षेत्र अथवा उपक्षेत्रों के लिये 1500.00 रूपये के स्थान पर 3000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	राज्य के भीतर एक से अधिक क्षेत्र में मार्ग अथवा मार्गो या उपक्षेत्र अथवा उपक्षेत्रों के लिये 2400.00 रूपये के स्थान पर 5000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iii)	राज्य के भीतर के मार्गो या क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के लिये दूसरे राज्य द्वारा निर्गत परमिट के मामले में 2500.00 रूपये के स्थान पर 5000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iv)	स्थायी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिये आवेदन शुल्क 500.00 रूपये के स्थान पर 1000.00 रूपये अन्त:स्थापित किया जाता है।
(ग)	**अन्तक्षेत्रीय या अंतर्राज्यीय/प्रत्येक प्रयोजन के लिये अलग-अलग अस्थायी परमिट शुल्क:-**
(i)	अस्थायी परमिट शुल्क प्रत्येक 7 (सात) दिन या उसके किसी भाग के लिये ऑटो रिक्शा, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब हेतु 100.00 रूपये के स्थान पर 200.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	अस्थायी परमिट शुल्क प्रत्येक 7 (सात) दिन या उसके किसी भाग के लिये ऑटो रिक्शा, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब से भिन्न वाहन हेतु 500.00 रूपये अंत:स्थापित किया जाता है।
(iii)	अस्थायी परमिट चार माह के लिये मोटर कैब एवं मैक्सी कैब हेतु 720.00 रूपये के स्थान पर 1500.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iv)	अस्थायी परमिट (कन्ट्रैक्ट अथवा स्टैज कैरिज) चार माह के लिये मोटर कैब एवं मैक्सी कैब से भिन्न वाहन हेतु 2500.00 रूपये अंत:स्थापित किया जाता है।
(v)	अस्थायी परमिट चार माह के लिये ऑटो रिक्शा हेतु 135.00 रूपये के स्थान पर 300.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

(घ)	**अस्थाई परमिट के प्रतिहस्ताक्षर की शुल्क :-**
(i)	राज्य के भीतर मार्ग अथवा मार्गो या क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के लिये अस्थाई परमिट के प्रतिहस्ताक्षर की शुल्क 750.00 रूपये के स्थान पर 1500.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	इस राज्य के भीतर दूसरे राज्य द्वारा निर्गत परमिट के मामले में मार्ग अथवा मार्गो या क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के लिये अस्थाई परमिट के प्रतिहस्ताक्षर की शुल्क 1500.00 रूपये के स्थान पर 3000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iii)	अस्थायी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिये आवेदन शुल्क 500.00 रूपये पूर्ववत ही रहेगा।
(ङ.)	परमिट से आवृत वाहन को दूसरे वाहन से बदलने के लिये अथवा उसके स्थानान्तरण या परमिटधारी का पता बदलने के लिये शुल्क 600.00 रूपये के स्थान पर 1500.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(च)	टैक्सी मीटर के अनुमोदन हेतु आवेदन पत्र के लिए पूर्ववत 200.00 रूपये शुल्क होगी।
(छ)	मालवाहक/सवारी गाड़ी/ठेका गाड़ी परमिट स्वामित्व हस्तान्तरण के लिये शुल्क 1500.00 रूपये के स्थान पर 3000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ज)	परमिट या उसके अंश (पार्ट ए या बी या प्राधिकरण या परमिट खो जाने अथवा बर्बाद होने की स्थिति में) परमिट अथवा उसके अंश की द्वितीय प्रति निर्गत करने का शुल्क 300.00 रूपये के स्थान पर 500.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(झ)	**अपील के लिए अधिनियम की धाराओं के अधीन भुगतेय शुल्क :-**
(i)	अधिनियम की धारा 89 और उसके अधीन बनाये गये नियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण से संबंधित शुल्क की दर 180.00 रूपये के स्थान पर 300.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	अपील या पुनरीक्षण से संबंधित किसी दस्तावेज की प्रत्येक प्रति के लिये निर्गत आदेश की अभिप्रमाणित प्रति के लिये शुल्क की दर 30.00 रूपये के स्थान पर 50 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ञ)	**किसी अभिकर्त्ता के अनुज्ञप्ति की स्वीकृति या नवीकरण के संबंध में शुल्क :-**
(i)	टिकट विक्रय अभिकर्ता को अनुज्ञप्ति देने और हरेक नवीकरण के लिये आवेदन शुल्क 450.00 रूपये के स्थान पर 750.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	टिकट विक्रय अभिकर्ता एवं माल संग्रहण, अग्रेषण और वितरण अभिकर्ता को अनुज्ञप्ति देने और हरेक नवीकरण के लिये अनुज्ञप्ति शुल्क 1500.00 रूपये के स्थान पर 2500.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iii)	माल संग्रहण, अग्रेषण और वितरण अभिकर्ता को मूल स्थापना अनुज्ञप्ति देने तथा हरेक नवीकरण के लिये आवेदन शुल्क 3000.00 रूपये के स्थान पर 5000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

(iv)	माल संग्रहण, अग्रेषण और वितरण अभिकर्ता को पूरक स्थापना अनुज्ञप्ति देने तथा हरेक नवीकरण के लिये शुल्क 2250.00 रूपये के स्थान पर 4000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(v)	ऐसे अनुज्ञप्ति की मूल प्रति के खो जाने, बरबाद हो जाने, फट जाने या विरूपित हो जाने के मामले में द्वितीयक प्रति हेतु शुल्क 150.00 रूपये के स्थान पर 300.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ट)	**चालक/संवाहक के बैज निर्गत करने का शुल्क :-**
(i)	चालक का बैज शुल्क 105.00 रूपये के स्थान पर 200.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	संवाहक का बैज 75.00 रूपये के स्थान पर 200.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ठ)	मोटरवाहन अधिनियम की धारा 194 की उपधारा 2 एवं धारा 114 के उपधारा-1 के प्रयोजनार्थ क्षमता से अधिक लदान भार वहन करने वाले वाहन से अधिक भार को हटाकर भंडारण करने का शुल्क रू0 153.00 प्रति 100 कि0ग्रा0 प्रति दिन के स्थान पर रू0 300.00 प्रति 100 कि0ग्रा0 प्रति दिन प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ड.) **टैक्सी मीटर जाँच हेतु शुल्क :-**

(i)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 96 के तहत नवीन टैक्सी मीटर की जाँच हेतु शुल्क 300.00 रूपये के स्थान पर 500.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	संपूर्ण जाँच शुल्क प्रमाणित टैक्सी मीटर की जाँच शुल्क 60.00 रूपये के स्थान पर 150.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(क)	अभिप्रमाणित एकल मीटर का जाँच शुल्क 60.00 रूपये के स्थान पर 150.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ख)	प्रत्येक पुर्नजाँच हेतु शुल्क 30.00 रूपये के स्थान पर 50.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

(च) **अभिकर्त्ता अनुज्ञप्ति हेतु प्रतिभूति शुल्क** :-

(i)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 101 के उपनियम 9 के तहत टिकट विक्रय अभिकर्ता अनुज्ञप्ति हेतु प्रतिभूति शुल्क रू0 3000.00 के स्थान पर 5000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 103 के उपनियम 4 के तहत माल संग्रहण, अग्रेषण एवं वितरण अनुज्ञप्ति के निर्गमन तथा प्रत्येक नवीकरण के लिये प्रतिभूति शुल्क रू0 15000.00 के स्थान पर 30000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।

(छ) **झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम-74 में निम्नांकित नियम इसके नीचे प्रतिस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है :-**

(i)	समय सारणी में परिवर्तन हेतु आवेदन शुल्क 3000.00 रूपये के स्थान पर 5000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii)	आपत्ति दाखिल करने के लिए प्रोसेस शुल्क 1000.00 रूपये के स्थान पर 2500.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iii)	परिवहन प्राधिकारी द्वारा किसी भी मार्ग की दूरी की माप करने हेतु आवेदक के द्वारा देय शुल्क (कुल देय राशि का भुगतान क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार या राज्य परिवहन प्राधिकार) द्वारा सक्षम परिवहन प्राधिकारी को भुगतान किया जायेगा को 10.00 रूपये के स्थान पर 25.00 रूपये प्रति कि॰ मी॰ प्रतिस्थापित किया जाता है।
(iv)	राष्ट्रीय परमिट के अन्तर्गत मालवाहक के स्थायी परमिट हेतु आवेदन शुल्क 500.00 रूपये के स्थान पर 1000.00 रूपये प्रतिस्थापित किया जाता है।
(v)	अधिनियम की धारा 88(9) के अंतर्गत पर्यटक वाहनों को निर्गत होने वाले पर्यटक परमिट हेतु आवेदन शुल्क 1000.00 रूपये अन्त:स्थापित किया जाता है।
(vi)	अधिनियम की धारा 88(9) के अंतर्गत पर्यटक वाहनों को निर्गत होने वाले पर्यटक परमिट हेतु परमिट शुल्क (अधिभार सहित) 15000.00 रूपये अन्त:स्थापित किया जाता है।

(ज) **झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम 46 के उपरान्त एक उप नियम- 46(I) निम्नवत रूप से प्रतिस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है :-**

इस नियमावली के नियम 41 के अधीन अस्थायी निबंधीकरण एवं नियम 43 के उपबंध के अधीन निजी वाहन एवं व्यवसायिक मोटरवाहन जिसपर बॉडी बनी हुई आती है, उक्त वाहनों का निरीक्षण विक्रेता/उप विक्रेता के व्यवसायिक परिसर में किया जायेगा तथा निम्नवत सारणी के अनुरूप निरीक्षण शुल्क देय होगा :-

<u>क्रमांक</u>			<u>निरीक्षण शुल्क (रूपये में)</u>
(a)	<u>**निजी मोटरवाहन**</u>		
	(i) दो पहिया वाहन	-	200.00
	(ii) मोटरकार/ओमनी बस	-	400.00
	(iii)उपरोक्त (i) एवं (ii) के अतिरिक्त	-	400.00

(b) **<u>व्यावसायिक वाहन</u>**

(i) हल्के मोटर वाहन - 300.00

(ii) मध्यम मोटर वाहन - 400.00

(iii) भारी मोटर वाहन - 500.00

(झ) **झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम 82 के उपनियम 8 को निम्नवत रूप से प्रतिस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है :-**

(i) "स्वीकृत अस्थायी/स्थायी किसी तरह के परमिट की वैद्यता की समाप्ति के 15 दिनों पूर्व, नवीकरण हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में वाहन स्वामी द्वारा देय होगा, ऐसा नहीं होने की स्थिति में निम्न रूप से विशेष शुल्क देय होगा"।

Sl. No.	Duration	Amount of late fee for Auto-Rickshaw, Motor Cab & Maxi Cab	Amount of late fee for other vehicles
(i)	Less than 15 days, but within the last date of expiry	100.00	300.00
(ii)	After the last date of expiry but within 30 days	200.00	500.00
(iii)	After 30 days of the date of expiry, but within 60 days of the date of expiry	400.00	2000.00
(iv)	After 60 days, but within 90 days of the date of expiry	500.00	5000.00
(v)	Beyond 90 days	Rs. 500 for 90 days + Rs. 200 per month or part thereof beyond 90 days subject to maximum of Rs. 5000/-	Rs. 5000 for 90 days + Rs. 500 per month or part thereof beyond 90 days subject to maximum of Rs. 15000/-

4. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न मदों में अधिसूचित शुल्क स्वत: (Mutatis Mutandis) प्रभावी होंगे।

5. झारखण्ड असाधारण गजट संख्या-407, दिनांक-11.08.2021 के माध्यम से प्रकाशित परिवहन विभाग अधिसूचना संख्या-821, दिनांक-10.08.2021 के द्वारा अधिसूचित झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2021 को निरस्त किया जाता है।

कृपा नन्द झा
सचिव
परिवहन विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 586 - 50